



फर्द अहकाम
(नियम-26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)
श्री सोबरन सिंह पिता रामस्वरूप निवासी 1-बावेल कम्पाउण्ड, झाबुआ जिला झाबुआ(म.प्र.)
बनाम

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भदेसर
किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
प्रकरण संख्या 27 / 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.02.2019	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री सोबरन सिंह पिता रामस्वरूप निवासी 1-बावेल कम्पाउण्ड, झाबुआ, जिला झाबुआ (म.प्र.) द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु दिनांक 06.01.2019 को विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भदेसर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भदेसर द्वारा प्रार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भदेसर लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं।</p> <p>चूंकि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भदेसर लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को मय उनके द्वारा प्रस्तुत पोस्टल ऑर्डर नं. 91G 792619 राशि 50/- रुपये प्रेषित की जावे।</p> <p style="text-align: center;">  (शिवांगी स्वर्णकार) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज.) </p>	<p style="text-align: right;">  18/2/19 </p>

